समाचार

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

मतदान करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार व कर्तव्य भी–कलेक्टर

(दिव्यांगजनों, थर्ड जेंडर समुदाय के मतदाताओं हेतु सियान सदन में आयोजित किया गया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम)

कोरबा 15 मार्च 2019 –कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने आज कहा है कि निर्वाचन में भाग लेना और मतदान करना प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। उन्होने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अनिवार्य रूप से करें तथा निर्वाचन में भाग लेकर अपना वोट डालें।

उक्त बातें कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज सियान सदन घंटाघर कोरबा में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर कही। यहां उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती किरण कौशल के कुशल मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आवश्यक तैयारियों के साथ–साथ मतदाता जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है, इसी कड़ी में आज घंटाघर कोरबा स्थित सियान सदन में दिव्यांगजनों, थर्ड जेंडर समुदाय को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने एवं अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठी व परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर एव जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती कौशल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आगे कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का महानतम लोकतंत्र है, लोकतंत्र के इस महा यज्ञ में प्रत्येक मतदाता अपने मतदान की आहूति अवश्य डालें तथा अपने मताधिकार का उपयोग करें, उन्होने विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि मतदान करना प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि एक महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है, हम सभी को अपने इस कर्तव्य का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित मतदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्होने कहा कि मुझे विश्वास है कि थर्ड जेंडर समुदाय व दिव्यांगजन साथी शतप्रतिशत मतदान करेंगे तथा लोकसभा निर्वाचन 2019 की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेकर अपना वोट डालेंगे। उन्होने अपील करते हुए कहा कि इन वर्गो से जो मतदाता आज कार्यक्रम में किन्हीं कारणवश उपस्थित नहीं हो पाएं हैं, उन्हें भी मतदान के बारे में बताईए तथा अनिवार्य मतदान हेतु प्रोत्साहित करिए। उन्होने उपस्थित वालिएंटर्स से कहा कि वे

छोटे–छोटे स्तर पर मतदाता जागरूकता हेतु कार्य करें तथा मतदान हेतु लोगों को जागरूक करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि निर्वाचन प्रकिया में सभी की भागीदारी आवश्यक है, प्रत्येक मतदाता का यह कर्तव्य है कि वह अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर वोट डालें तथा दूसरों को भी मताधिकार का उपयोग करने प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने '' मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में–युवा मतदाता की भूमिका '' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर निगम आयुक्त एस.के.दुबे, अपर आयुक्त अशोक शर्मा, समाज कल्याण विभाग के प्रभारी उपसंचालक एवं डिप्टी कलेक्टर श्री मरकाम, निगम के उपायुक्त बी.पी.त्रिवेदी, स्वीप के जिला नोडल अधिकारी व डी.पी.ओ. सतीश प्रकाश सिंह, परिवीक्षा अधिकारी मुकेश दिवाकर के साथ अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह के द्वारा उपस्थित मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई गई, साथ ही उन्होने लोकसभा निर्वाचन 2019 में शत प्रतिशत मतदान करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती किरण कौशल के मार्गदर्शन में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी दी।

दिया गया मतदान का व्यवहारिक प्रशिक्षण–कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर डॉ.उमेश प्रसाद साहू एवं अरविंद शर्मा के द्वारा उपस्थित दिव्यांगजनों एवं थर्डजेंडर समुदाय के मतदाताओं को ई.व्ही.एम. मशीन व वी.वी.पैट मशीन के माध्यम से मतदान का व्यवहारिक व सूक्ष्म प्रशिक्षण दिया गया तथा मतदान हेतु ई.व्ही.एम. मशीन के उपयोग की जानकारी दी गई, उपस्थित मतदाताओं द्वारा मतदान के संबंध में पूछे गए प्रश्नों एवं व्यक्त की गई शंकाओं का समुचित समाधान भी मास्टर ट्रेनरों के द्वारा किया गया।